श्रीनगर में डल झील का विकास

*86. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में डल झील तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए ब्रिटेन तथा न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों के सहयोग के साथ कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) डल, नगीन और मानसबल झीलों में प्रदूषण समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार ने राष्ट्र मण्डल सचिवालय के साथ उनकी तकनीकी सहायता हेतु राष्ट्रमण्डल निधि के अन्तर्गत सीधी व्यवस्था की थी। विशेषज्ञ यू० के० और न्यूजीलैंड से आए।

(ख) और (ग) राज्य सरकार की स्कीम होने के कारण, ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

Merger of Pay and Dearness Allowance of Central Government Employees

*87. SHRI D. AMAT:
SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have finalised their decision on the merger of pay and dearness allowance of Central Government employees; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The issue of merger with pay of a part of Dearness Allowance payable to Central Government employees has been referred to the Board of Arbitration (Joint Consultative Machinery) along with two other issues relating to Dearness Allowance. The award of the Board of Arbitration has to be awaited before any decision on this issue can be taken by Government.

चिट फंड फाइनेंस लिमिटिड कम्पनी

*88. **श्री युवराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने चिटों अथवा लाभकारी योजनाओं के प्रयोजनार्थ इलाहाबाद चिट फंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद, द्वारा अंशदान के नये सिरे से एकत्र किये जाने पर रोक लगाई है ;

(ख) क्या देश में चिट फंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों कार्यरत हैं और यदि हां, तो कितनी ;

(ग) ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों का उल्लंघन किया है ; और

(घ) क्या चिट फंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार 1-11-1978 को 1112 चिट्टी निजी लिमिटेड कम्पनियां थीं जो परम्परागत चिटें चला रही थीं और 932 निजी लिमिटेड कम्पनियां थीं जो इनामी चिटें/बचत/लाभ आदि योजनाएं चला रही थीं।